छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सी) क्रमांक 3833/2019

फेकूराम टंडन पिता स्व. श्री श्रीराम टंडन
उम्र 51 वर्ष, वर्तमान पद एवं पदस्थापना - प्रधानपाठक
शास. माध्यमिक शाला, रिसदी, तहसील कोरबा,जिला कोरबा, छत्तीसगढ

.... याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी मंत्रालय
नया रायपुर, अटल नगर,
पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन नया रायपुर
अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. कलेक्टर,
जांजगीर चांपा, (छत्तीसगढ़)

3. जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर चांपा,
(छत्तीसगढ़)

4. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सचिव,
रायपुर,छत्तीसगढ

.......................उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता द्वारा श्री बी.डी. गुरू अधिवक्ता
राज्य द्वारा श्री आशुतोष मिश्रा, पी.एल.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मााननीय न्यायमूर्ति श्री पी.सेम.कोशी

आर्डर ऑन बोर्ड

दिनांक 05.11.2019

1. वर्तमान रिट याचिका में दिनांक के अनुसंलग्न पी -1 को अपास्त किये जाने का अनुतोष ईप्सित है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के मैट्रिक प्रमाण पत्र के जन्मतिथि में सुधार के निवेदन को उत्तरवादी क्रमांक 4 मंडल द्वारा निरस्त किया गया था।

2.प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता शिक्षा विभाग का कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत 07.02.1994 को हुई थी। सेवा में पदभार ग्रहण करते समय उसकी सेवा रिकार्ड में जन्मतिथि 08.02.1965 दर्ज हुई। उसका सेवा रिकार्ड में जन्मतिथि याचिकाकर्ता द्वारा उसकी नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज की गई। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण के साथ लगातार काम करना जारी रखा, जब 2017 में पहली बार याचिकाकर्ता ने अपने नियोक्ता क समक्ष जन्मतिथि में सुधार करने हेतु अनुरोध किया।

3. नियोक्ता ने इस पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 6385/2018 संस्थित कर उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इस न्यायालय ने रिट याचिका को प्रचलनशील न मानते हुये उसका निपटारा कर माना कि जब तक शाला प्रमाण पत्र में जन्मतिथि में सुधार नहीं होगा तब तक सेवा रिकार्ड में जन्मतिथि में सुधार का निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात ही याचिकाकर्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी क्रमांक 4 मंडल के पास अपनी जन्मतिथि में 08.02.1965 से 19.04.1968 सुधार करने हेतु गया।

4. जन्मतिथि में सुधार के संपूर्ण दावे का आधार एक दस्तावेज है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा जिला रजिस्ट्रार से प्राप्त किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता के जन्म का विवरण उपलब्ध था जो जन्मतिथि 19.04.1968 होना दर्शाता है। उत्तरवादी क्रमांक 4 मंडल ने अनुलग्नक पी. 1 के माध्यम से उसके अभ्यावेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह जन्मतिथि में सुधार संबंधी आवेदन पर सुनवाई के लिये स्वीकार्य सीमा 03 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया जा रहा है।

5.इस न्यायालय ने अभिलेख के सत्यापन में यह भी पाया कि अनुलग्नक पी. 2 जो रजिस्ट्रार कार्यालय का दस्तावेज है, को छोड़कर याचिकाकर्ता के पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में जन्मतिथि सुधारने के लिये कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। एक अन्य कारण जो इस न्यायालय को इस रिट याचिका पर विचार न करने हेतु बाध्य करता है वह यह है कि याचिकाकर्ता 1994 से 2017 तक अपनी जन्मतिथि को 08.02.1965 स्वीकार करते हुये रोजगार में था। याचिकाकर्ता को तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत नियुक्त किया गया था , जिसके अधीन उसने लगभग 06 वर्षो तक कार्य किया। याचिकाकर्ता ने उस समय अपनी जन्मतिथि में सुधार करवाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। याचिकाकर्ता ने राज्य विभाजन के पश्चात भी अपनी जन्मतिथि में सुधार की मांग करते हुये और कोई कदम नहीं उठाया। सेवा में 20 वर्षो से अधिक अवधि के बाद ही याचिकाकर्ता ने पहली बार अपने मेट्रिक प्रमाण पत्र में जन्मतिथि में सुधार की मांग की।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. जहां तक माध्यमिक शिक्षा मंडल का सवाल है, उक्त क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देश यह अनुमति देते है कि जन्मतिथि में परिवर्तन का आवेदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के नतीजे प्रकाशन की तिथि से केवल तीन वर्ष की अवधि के अंतर्गत किया जा सकता है। वर्तमान मामले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रमाण पत्र अप्रैल 1988 एवं 1989 में जारी किये गये थे। इन दोनों प्रमाण पत्रों में जन्मतिथि 08.02.1965 उल्लेखित है। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है जिससे माना जा सके कि याचिकाकर्ता को हाल ही में पता चला है कि उसकी जन्मतिथि उसके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रमाण पत्र में गलत दर्शायी गई है जो अन्यथा यह उपधारणा की जानी चाहिये कि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 08.02.1965 है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने अप्रैल 1988 और अप्रैल 1989 में उसके पक्ष में जारी किये गये दो प्रमाण पत्रों में अंकित जन्मतिथि में प्रथमतः सुधार के लिये शीघ्र कदम नहीं उठाया। इसके लिये केवल याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया जाना चाहिये। प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश जो एक निश्चित अवधि के पश्चात जन्मतिथि में सुधार के आवेदन को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता दर्शाता है को न तो मनमाना और ना ही बुरा कहा जा सकता है विशेषतः तब जब इस संबंध में दिशानिर्देश बहुत विशिष्ट है।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने आन्ध्रप्रदेश शासन बनाम एम.हयाग्रीव शर्मा, 1990(2) एससीसी 682 में जन्मतिथि सुधार संबंधित एक विवाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

''इस मामले में ए.पी. लोक नियोजन (जन्मतिथि का अभिलेखन एवं परिवर्तन) नियम 1984 विचाराधीन था। कर्मचारी के पदग्रहण के समय शाला प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा पुस्तिका में उसकी जन्मतिथि दर्ज की गई। अंततः कर्मचारी का जन्मतिथि में परिवर्तन के लिये आवेदन नियमों के लागू होने से पहले खारिज कर दिया गया। नियमों के लागू होने के बाद परिवर्तन हेतु कर्मचारी द्वारा एक पश्चातवर्ती दावा किया गया। इस न्यायालय ने माना कि नियमों के लागू होने के पश्चात जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन अधिनियम 1886 के तहत बनाये गये जन्म और मृत्यु रजिस्टर में निहित प्रविष्टियों के उद्धहरणों के आधार पर भी परिवर्तन के लिये पश्चातवर्ती दावे मान्य नहीं होगे ''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इस स्तर पर भारत संघ बनाम हरनाम सिंग 1993 (2) एससीसी 162 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना भी सुसंगत होगा जिसमें किसी उसी प्रकार के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया हैः-

'' ....फिर भी सरकार सेवा शर्तो में एक समय सीमा निर्धारित करने हेतु सक्षम होगी जिसके पश्चात किसी सरकारी कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार संबंधी कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः कोई सरकारी कर्मचारी जो निर्धारित समयावधि के पश्चात जन्मतिथि में सुधार के लिये कोई आवेदन प्रस्तुत करता है को अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता चाहे उसके पास यह साबित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य हो कि प्रविष्ट की गई जन्मतिथि स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। परिसीमा संबंधी कानून कठोरता से लागू हो सकती है परंतु इसे इसकी पूरी कठोरता

के साथ लागू किया जाना चाहिये और न्यायालय या अधिकरण उनकी सहायता के लिये नहीं आ सकते जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते तथा परिसीमा अवधि को समाप्त होने की अनुमति देते है। जब तक परिवर्तित न हो, दर्ज की गई उसकी जन्मतिथि उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि निर्धारित करेगी चाहे यह उसके वास्तविक आयु के आधार पर सेवा में बने रहने के उसके अधिकार को कम करने के बराबर हो....''

9. सचिव एवं आयुक्त, गृह विभाग बनाम आर.किरूबाकरण, 1994 सप. (1) एससी 155 के मामले की कंडिका 7 और 9 में सेवा में पदभार ग्रहण करने के पर्याप्त समय पश्चात जन्मतिथि में सुधार के मुद्दे के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''किसी लोक सेवक द्वारा जन्मतिथि में सुधार के लिये किया गया आवेदन उसकी सेवाकाल के अंतिम समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के लिये दिये गये ऐसे किसी निर्देश की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है क्योंकि इस प्रक्रिया में उसके नीचे वर्षो से अपनी पदोन्नति के लिये प्रतीक्षा कर रहे अन्य लोग प्रभावित होते है। कुछ लोगों को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना होती है क्योंकि जन्मतिथि में सुधार के कारण संबंधित अधिकारी कई वर्षो तक पद में बना रहता है जिसके दौरान वरिष्ठता में उसके नीचे के पदोन्नति के लिये प्रतीक्षारत कई अधिकारी हमेशा के लिये पदोन्नति का अवसर खो सकते है। हमारे अनुसार

यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे न्यायालय अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के संबंध में की गई शिकायत की जांच करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब तक की उत्तरवादी द्वारा तथ्य/सामग्री के आधार पर स्पष्ट मामला नहीं बनाया जाता है जिसे प्रकृति में निणार्यक माना जा सकता है , न्यायालय या न्यायाधिकरण को ऐसे सामग्री के आधार पर कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिये जो ऐसे दावे को केवल प्रशंसनीय बनाती है और ऐसा कोई निर्देश जारी करने के पहले न्यायालय को पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिये कि वास्तव में संबंधित व्यक्ति के साथ अन्याय होगा और उसकी जन्मतिथि में सुधार के लिये उसका दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा किसी नियम या आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया गया है। आवेदक के ऊपर यह साबित करने का भार है कि उसकी सेवा पुस्तिका में उसकी जन्मतिथि गलत दर्ज की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

XXXX XXXX XXXX

अतः जब भी सेवानिवृत्ति पर या उसके आसपास जन्मतिथि में परिवर्तन के लिये कोई आवेदन किया जाता है कि तो संबंधित न्यायालय या न्याधिकरण को अधिक सतर्क होना चाहिये क्योंकि लोक सेवकों के एक वर्ग में यह बताये बिना कि यह प्रश्न पहले क्यों नहीं उठाया गया, इस तरह के विवाद उठाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है...''

10. उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य बनाम शिवनारायण उपाध्याय, 2005 (6) एससी 49 की कंडिका 6 और 9 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना हैः-

> ''..... परंतु हाल में एक प्रवृत्ति देखी जा सकती है कि कई लोक सेवक अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर गहरी नींद से जागकर अपने सेवा रिकार्ड के बारे में विवाद उठाते है, या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आव्हान करते हुये अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकरणों के समक्ष आवेदन संस्थित करते है या यहां तक कि दर्ज की गई जन्मतिथि सही है या नहीं, इस बारे में न्यायनिर्णयन के लिये मुकदमा संस्थित करते है ''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उच्चतम न्यायालय ने पुनः रजिस्ट्रार जनरल, मद्रास उच्च न्यायालय बनाम एम.मनिक्कम व अन्य, 2011 (9) एससी 255 के मामले में समान विवाद्यक का निर्धारण करते हुये निम्नानुसार माना है किः-

> '' 30. इस तर्क के समर्थन में ठोस, मजबूत और विश्वसनीय साक्ष्य होना चाहिये कि सेवा अभिलेखों में अथवा एस.एस.एल.सी. प्रमाण पत्र में जन्मतिथि त्रुटि से गलत प्रविष्ट दर्ज हो गई थी''

12. उपरोक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों को देखे तो यह स्पष्टतः दर्शित है कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने अप्रैल 1988 व अप्रैल 1989 में उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन दोनों अंकसूचियों में

जन्मतिथि विशिष्ट रूप से 08.02.1965 दर्शायी गई है। याचिकाकर्ता ने 20 वर्षो से अधिक समय तक अपने शाला प्रमाण पत्र अथवा सेवा रिकार्ड में अपनी जन्मतिथि में परिवर्तन/सुधार के लिये किसी भी प्राधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई।

13. इस स्तर पर मामले को समाप्त करने के पहले माननीय न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा जो उस समय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे के वर्ष 2000 की रिट याचिका क्रमांक 6293 में दिये गये निर्णय दिनांक 29.01.2001 के सुसंगत अंश उद्धृत करना उचित होगा जो निम्नानुसार हैः-

> '' ....यदि मनुष्य अपने सबसे बड़े और अजेय शत्रु उस पुराने सामान्य मध्यस्थ, काल को रोककर अपना दास बना लेता तो मानव जाति का इतिहास कुछ और ही होता। ऐसा कहा जाता है कि जब सर्वशक्तिमान, मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होता है तब भी वह काल के नियमों द्वारा शासित होता है। जो व्यक्ति समय के दायरे में कार्य नहीं करता, वह न केवल प्रकृति के उपहारों को खो देता है, बल्कि मानव निर्मित कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को भी खो देता है। विलंब और आलस्य हमेशा कानून में सामान्य रूप से स्वकार्य लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते है , क्योंकि कानून उन लोगों की सहायता करता है, जो निर्धारित समय के भीतर न्याय के द्वार पर दस्तक देने के लिये सजग रहते है''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इन परिस्थितियों में इस न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक पी. 1 को रद्द करने या छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को

उत्तरवादी क्रमांक 1 को याचिकाकर्ता की जन्मतिथि में सुधार के लिये निर्देश देने के लिये कोई मजबूत मामला नहीं मिलता।

15. इस प्रकार यह रिट याचिका गुण रहित पायी जाती है व तदानुसार निरस्त की जाती है।

सही/-

पी .सैम कोसी

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur